Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding RBI's decision to store the digital data in India for supervisory purpose.

श्री अजय मिश्र 'टेनी' (खीरी): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । पूरी दुनिया में इस समय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है । ई-कामर्स कंपनियां डेटा का दुरुपयोग कर रही हैं । ऐसे समय में भारत एक बड़ा बाजार होने के कारण, भारत के वाणिज्य मंत्री जी ने टेक्नोलॉजी व ई-कामर्स से संबंधित कंपनियों के साथ डेटा नियमों से संबंधित चर्चा की थी, जिसमें उक्त कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आरबीआई के सख्त नियमों पर आपत्ति की थी । उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल डेटा भारत में ही स्टोर करने के नियमों की लगातार समीक्षा करने के संकेत दिए हैं । इसके कारण कुछ विदेशी कंपनियां, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा आदि ने आपत्ति की है व अमेरिका जैसे देशों ने भी आपत्ति की है । वास्तव में हमारी आरबीआई ने यह तय किया है कि विदेशी पेमेंट कंपनियों को पर्यवेक्षण की दृष्टि से अपना डेटा भारत में ही स्थित कंप्यूटर में रखना चाहिए, जो हमारे देश के लिए वास्तव में बहुत आवश्यक है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भले ही विदेशी कंपनियां इस पर आपत्ति करें, हमारी सरकार को इस नियम को और इसी कानून को बनाए रखना चाहिए और निजता की रक्षा व देश हित में विदेशी व्यावसायिक कंपनियों की मांगों के बावजूद इन नियमों को चालू रखना चाहिए ।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।